न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 45/2025

वादीगण :–

1. ओमाराम पुत्र भीकाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी हुणगांव कला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. रमेश पुत्र भीकाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हुणगांव कलां तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान
3. गणपतराम पुत्र भीकाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) फौत के कायम मुकामः–
   3/1 पवन पुत्र स्वर्गीय गणपतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हुणगांव कला नाबालिग जरिये कुदरती वली चाचा रमेश पुत्र भीकाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी हुणगांव कला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. श्यामसिंह पुत्र बुधेसिंह जाति राजपूत निवासी हुणगांव कलां तहसील बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :–वादी– श्री एच आर प्रजापत, श्री मदननाथ रावत अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या– 1 स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 7/10/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी ग्राम हुणगांव कला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान के मूल निवासी है। वादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम हूणगांव कला पटवार हल्का रामासनी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाला तहसील बिलाडा की सरहद में खसरा नंबर 175/2 रकबा 3.6971 हैक्टयर, खसरा नंबर 175/3 रकबा 3.1147 हैक्टयर स्थित है। उक्त खसरों की भूमि वादीगण व वादीगण के भाई गणपत की संयुक्त खातेदारी की कब्जासुदा है। उक्त खसरों की भूमि में वादी ओमाराम का 4/27 वां हिस्स व वादी रमेश का 23/216 वां हिस्सा एवं गणपत का उक्त खसरें की भूमि में 23/216 वां हिस्सा है। वादी रमेश, गणपत पिसरान भीकाराम की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम हुणगांव कला पटवार हल्का रामासनी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाला तहसील बिलाडा की सरहद में खसरा नंबर 175/1 रकबा 7.6370 हेक्टयर स्थित है। उक्त खसरे की भूमि में वादी रमेश का 17/1593 वां हिस्सा गणपत का 17/1593 वां हिस्सा है। वादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम हुणगांव

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

कला, पटवार हल्का रामासनी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाला तहसील बिलाडा की सहरद में खसरा नंबर 243 रकबा 0.0485 हैक्टयर, खसरा नंबर 245 रकबा 4.1259 हैक्टयर स्थित है। उक्त खसरों की भूमि वादीगण व वादीगण के भाई गणपत की संयुक्त खातेदारी की कब्जासुदा है वादीगण के भाई गणपत का देहान्त हो चुका है। उक्त खसरों की भूमि में वादी रमेश का 1/24 वां हिस्सा एवं गणपत का उक्त खसरों की भूमि में 5/192 वां हिस्सा है। तथा प्रतिवादी का 1/24 वां हिस्सा है। उपरवर्णित तीनों खातों की भूमि को आगे वाद के पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादीगण के भाई गणपत का देहान्त 2015 में हो चुका है। गणपत के एक पुत्र पवन वर्तमान में आयु 10 वर्ष का नाबालिग है गणपत का देहान्त होने के बाद गणपत की पत्नी रेखा ने पुनः विवाह आज से करीब सात वर्ष पूर्व कर लिया है मगर नाबालिंग पवन वर्तमान में वादी रमेश के पास रहता ह ै जिसका लालन पालन वादी रमेश करता है। इस प्रकार नाबालिंग वादी का कुदरती वली चाचा रमेश है जो पवन के हितों की सुरक्षा करता है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर वर्तमान में काबिज है। मगर प्रतिवादी ने वादीगण को वादीग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं होते हुए काश्त करने नहीं देता है एवं वादीगण अपनी जमीन में खडाई करने जाते है।एवं फसल बुवाई करने जाते है तो आडा फिरता है तथा फसल की बुवाई नहीं करने देता है। इसी अनुसरण में वादी ने अभी हाल ही में दिनांक 16.03.2025 अपने हिस्से की भूमि में खडा करने जा रहे थे जिसका पता प्रतिवादी को चल गया जिसने वादीगण को एलनिया धमकिया दी कि यदि जमीन में खडाई कर दी तो जान से मार देंगे। वादग्रस्त जमीन में प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा नही होते हुए लाठियों के बल पर जबरन कब्जा करना चाहता है। वादकारण विरूद्ध प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 16.03.2025 को वादीगण को वादग्रस्त जमीन में उनके हक हिस्से की भूमि में खडाई करने से रोकने व काश्त नहीं करने देने की धमकीया देने पर वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादी हुआ है जो आज भी हो रहा है। तथा प्रतिवादी को फसल बुवाई से पहले जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना अति आवश्यक है। यदि प्रतिवादी को वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने हेतु पाबन्द नहीं किया गया तो वादीगण को प्रतिवादी काशत भी नहीं करने देगा जो कानून एवं न्याय की मंशा कतई नहीं है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्रम हुणगांव कला तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 243 रकबा 0.0485 हैक्टयर, खसरा नंबर 245 रकबा 4.1259 हैक्टयर में वादीगण रमेश के 1/24 वां हिस्सा एवं गणपत का 5/192 वें हिस्से पर तथा खसरा नंबर 175/2 रकबा 3.6971 हैक्टयर , खसरा नंबर 175/3 रकबा 3.1147 हैक्टयर में वादी ओमाराम के 4/27 वां हिस्सा, रमेश का 23/216 वां हिस्से पर व

क कलक्टर
खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

गणपत के 23/16 वें हिस्से पर एवं खसरा नंबर 175/1 में वादी रमेश के 17/1593 वें हिस्से पर व गणपत के 17/1593 वें हिस्से में प्रतिवादी स्वयं के द्वारा या इसके परिवार के सदस्यों के द्वारा या इसके नौकर मजदूर, आदि के द्वारा कोई किसी भी प्रकार की वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि में एवं कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का बाधा न तो स्वयं पहुचावे व न ही किसी अन्य से पहुचावें तथा लाठियों के बल पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करने हेतु प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 18.08.2025 को जवाब बंद किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी की ओर ओमाराम पुत्र भीकाराम पी.डब्ल्यू. 1 द्वारा साक्ष्य पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 खसरा सं. 175/1 ग्राम हुणगांव कलां की चालू जमाबंदी संवत् 2073-2076 की ई प्रति, प्रदर्श 2 खसरा सं. 175/2 ग्राम हुणगांव कलां की चालू जमाबंदी संवत् 2073-2076 की ई प्रति, प्रदर्श 3 खसरा सं. 243 ग्राम बाला की चालू जमाबंदी संवत् 2073-2076 की ई प्रति आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम हुणगांव कलां की भूमि खसरा नंबर 175/2 रकबा 3.6971 हैक्टयर, खसरा नंबर 175/3 रकबा 3.1147 हैक्टयर के वादीगण व अन्य रेकर्डेड खातेदार है। विवादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है जिस पर काश्त करने का वादीगण को पुरा अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 का वादीगण की भूमि से कोई सम्बंध नही है। विवादित मामले में रेकर्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का कानूनन अधिकारी होता है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई निर्णय नजीरों में प्रतिपादित किया है कि विवादित सम्पति की सुरक्षा के लिए निवारक अनुतोष के रूप में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। स्थायी निषेधाज्ञा का दावा केवल रेकर्डेड खातेदार ही ला सकता है। वादीगण विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। जबकि इसी प्रकार ग्राम हुणगांव कलां के खसरा नंबर 243 रकबा 0.0485 हैक्टयर व खसरा नंबर 245 रकबा 4.1259 हैक्टयर तथा खसरा नंबर 175/1 में वादीगण व प्रतिवादी बतौर राजस्व रेकर्ड में रेकर्डेड खातेदार है।

क कलक्टर
खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है-

दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्ध व्यादेश-

''कोई अभिधारी, जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू-धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।''

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 243, खसरा नंबर 245 व खसरा नंबर 175/1 में वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है वादीगण सम्पूर्ण आराजी के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। साथ ही वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह विश्वास करने को बतौर प्रतिवादीग द्वारा वादग्रस्त आराजी को क्षति कारित करने एवं निर्माण कार्य करने की प्रबल आशंका से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण वाद वादी बखूबी साबित नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:- आदेशः-

अतः वादीगण का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम छुणगांव कलां तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नंबर 175/2 रकबा 3.6971 हैक्टयर, खसरा नंबर 175/3 रकबा 3.1147 हैक्टयर में वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 7/10/15 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण — बनाम — प्रतिवादीगण

ओमाराम — श्यामसिंह वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 45/2025

दिनांक :– 7/10/25

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री एच आर प्रजापत, श्री मदननाथ रावल वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 स्वंय उपस्थित, प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम हुणगांव कलां तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नंबर 175/2 रकबा 3.6971 हैक्टयर, खसरा नंबर 175/3 रकबा 3.1147 हैक्टयर में वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस फर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा ।

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा